

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- बरदह

चार अदद गोवंशीय पशु (गाय) एक पिकप व एक अदद मोटर साईकिल व एक अदद चापड बरामद
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा गोकशी करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 03.07.2021 को उ०नि० शमशाद अली मय हमराह के साथ वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि भूलनडीह नहर पुलिया पर एक मोटर साइकिल एक व्यक्ति तथा पिकप सवार द्वारा पिकप में गोवंश पशु को रखकर गोवंशीय पशुओं को भरकर गोहत्या के मकसद से रस्सियों से मुंह पैर बांधकर दुबरा की तरफ जा रहे हैं इस सूचना पर उ०नि० शमशाद अली दुबरा पिकेट पर लगे कर्म०गण हे०का० प्रशान्त पाण्डेय व का० अमित चौरसिया को बरौना रोड बुलाकर मय हमराह के बरौना रोड पहुंचकर सभी को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर मय पुलिस बल के जखावा रोड आम के बगिया के पास डीह बाबा स्थान के पास अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु घेराबन्दी करने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा पुलिस बल को देखकर अपने अपने गाड़ियों को छोड़कर बाग में भाग गये । पुलिस बल द्वारा पीछा किया गया किन्तु नहीं मिले । मौके से एक अदद पिकप नं०- UP 44 AT 4967 , एक अदद मोटरसाइकिल होण्डा साईन नं० UP 50 BQ 1531 बरामद हुआ । पिकप गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी में चार अदद गोवंशीय पशु (गाय) जिनके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए तथा एक अदद चापड बरामद हुआ । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 143/2021 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि० तथा धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

बरामदगी-

चार अदद गोवंशीय पशु (गाय) एक बुलेरो पिकप सं० UP 44 AT 4967 व एक अदद मोटर साईकिल होण्डा साईन ब्लेक कलर नं० UP 50 BQ 1531 व एक अदद चापड व 4 अदद रस्सी।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 143/2021, धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि० तथा धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बरदह जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० शमशाद अलीमय हमराह थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ।

थाना-बरदह

अपहरणकर्ता गिरफ्तार, अपहृता बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 03.06.21 को उ०नि० बजरंग कुमार मिश्रा मय हमराह का० आफताब आलम , म०का० सुमन यादव के थाना हाजा से खाना होकर देखभाल क्षेत्र व मु०अ०सं० 124 /2021 धारा 363/366 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़ की विवेचना में ग्राम सहनूडीह में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि

मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त जाफर व अपहृता/पीडिता कुमारी नेहा (काल्पनीक नाम) जिवली तिराहे पर कही ले जाने हेतु वाहन का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराही कर्म0गण द्वारा मुखबिर के बताये अनुसार जिवली तिराहे पर पहुचकर महिला आरक्षी सुमन यादव द्वारा लड़की को तथा का0 आफताब आलम द्वारा लड़के को समय 8.30 बजे पकड लिया गया। उक्त दोनो से बारी बारी उनका नाम पता पूछा गया तो लड़के ने अपना जाफर पुत्र दिलशेर ग्राम पिलखुआ थाना बरदह जनपद आजमगढ़ तथा म0का0 सुमन यादव के माध्यम से लड़की का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम कु0 नेहा (काल्पनीक नाम) बतायी। अभियुक्त को उसके अपराध से बोध कराकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त ने पुछताछ करने पर बताया कि मैं लड़की के घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था पढ़ाते पढ़ाते हम दोनो एक दूसरे को चाहने लगे। दिनांक 01.06.21 को हम दोनो एक राय होकर उसके (लड़की) के घर से घूमने के बहाने निकले। फिर घर न जाकर इधर-उधर मैं अपने रिश्तेदारी में लेकर रहा। आज हम लोग दिल्ली जाने के लिए जिवली तिराहे पर सवारी का इंतजार कर रहे थे कि आप लोगो द्वारा हम लोगो को पकड लिया गया।

सम्बन्धित अभियोग

मु0अ0स0-124 /2021 धारा 363/366 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

नाम जाफर पुत्र दिलशेर ग्राम पिलखुआ थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

कुमारी नेहा (काल्पनिक नाम) अपहृता

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 बजरंग कुमार मिश्रा मय हमराह थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

थाना- जीयनपुर

छपरा सुल्तानपुर मे रोड़ जाम कर व पुलिस टीम पर पथराव करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 03.07.2021 को निरीक्षक अपराध दिनेश यादव मय हमराह के मु0अ0सं0 118/2021 धारा 147/148/149/ 151/152/153/186/323/504/506/336/353/332/333/307/308/427/325/435/341 भादवि व 7 सीएलए एक्ट मे वांछित अभियुक्त की तलाश/गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र मे मामूर थे कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि छपरा सुल्तानपुर मे जाम और पुलिस टीम पर पथराव का अभियुक्त कन्हैया सिंह उर्फ बैभव सिंह पुत्र इंग्लेश सिंह उर्फ अनिलेश सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ चुनुगपार मोड़ पर खडा है और कही भागने की फिराक मे है इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम मुखबिर के प्रस्थान कर चुनुगपार मोड़ से थोड़ा पहले पहुँचकर गाड़ी को खड़ा किये जहाँ पर मुखबिर खास द्वारा इशारे से तिराहा के पास खडे व्यक्ति को दिखाकर की यही वह अभियुक्त है हट बढ़ गया कि पुलिस टीम द्वारा एक बारगी घेरकर उक्त व्यक्ति को पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम कन्हैया सिंह उर्फ बैभव सिंह पुत्र इंग्लेश सिंह उर्फ अनिलेश सिंह उम्र 20 वर्ष

निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ जिनका भागने का कारण पूछा गया तो बताये की साहब जो छ परा सुल्तानपुर मे पुलिस पार्टी पर जो पत्थराव व रोड जाम हुआ था उसमे पुलिस मुझे तालश कर रही है। जिसमे मैं पुलिस से बचने हेतु अपनी रिश्तेदारी में जा रहा था कि पता नही आप लोग कहा से आकर मुझे पकड लियो। कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.25 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रह है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

नाम कन्हैया सिंह उर्फ बैभव सिंह पुत्र इंगलेश सिंह उर्फ अनिलेश सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 118/21 धारा 147/148/149/151/152/153/186/323/504/506/353/332/333/
307/308/427/325/341/435 भादवि0 व 7 CLA Act

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरी0 अपराध दिनेश यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 सुजीत कुमार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 अंकित पाल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 03.07.2021 को व0उ0नि0 केशर यादव मय हमराही के प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र करते हु ए वांछित अभि0गणो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र मे मामूर थे कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली की मु0अ0सं0 44/21 धारा 386 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त उमेश राजभर उर्फ भीम पुत्र चन्द्रदीप राजभर उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम चक अजीज (लछिया) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ मुबारकपुर तिराहा पर मौजूद है कही जाने की फिराक मे है इस सूचना पर विश्वास कर व0उ0नि0 मय हमराह के मुबारकपुर तिराहे पर पहुचे तो एक व्यक्ति को मुखविर द्वारा दूर से इशारा करके हट गया कि यह वही व्यक्ति है जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमे मे प्रकाश में आया अभियुक्त उमेश राजभर उर्फ भीम है। पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से उक्त व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया गया तथा नाम पता पूछा गया तो अपना नाम व पता उमेश राजभर उर्फ भीम पुत्र चन्द्रदीप राजभर उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम चक अजीज (लछिया) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया। चूँकि अभियुक्त उपरोक्त मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया अभियुक्त है। अतः कारण गिरफ्तारी बताकर समय 10.45 बजे बजाफता हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

उमेश राजभर उर्फ भीम पुत्र चन्द्रदीप राजभर निवासी ग्राम चक अजीज (लछिया) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 44/21 धारा 386 IPC

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 केशर यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 संतोष कुमार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल कार्यवाही की गयी है।

38 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की